भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2112

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की अनुपलब्धता

2112. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खरीफ और रबी के मौसम के दौरान यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों के समय पर उपलब्ध न होने, लंबी कतारें लगने और किसानों को निर्धारित कोटे से कम मात्रा में उर्वरक मिलने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य के संबंध में मांग के मुकाबले यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके उर्वरकों की कितनी मात्रा आवंटित की गई और वास्तव में कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई और वर्ष-वार और उर्वरक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राजस्थान जैसे मुख्य रूप से कृषि प्रधान और भौगोलिक रूप से विशाल राज्य में उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पर अंकुश लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राजस्थान राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

I. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

II. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

III. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम में किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

IV. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

V. पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और राज्यों के लिए रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

VI. राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते, रबी मौसम 2025-26 में और चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। रबी मौसम 2025-26 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और शेष स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक-क** में दी गई है, जबकि खरीफ मौसम 2026 अर्थात दिनांक 01.04.2026 से 26.07.2026 तक के लिए उक्त जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्थान में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक-ग** में दी गई है।

उर्वरकों की कालाबाजारी/ कृत्रिम कमी और अन्य कदाचारों जैसे मामलों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दी गई सूचनानुसार, इन कदाचारों को रोकने के लिए देश में, 01.04.2026 से 17.07.2026 तक 1,58,886 छापे मारे गए हैं जिनमें चूककर्ताओं के खिलाफ 8,262 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 2,692 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 247 एफआईआर दर्ज की गई हैं। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस, निलंबित/रद्द किए गए लाइसेंस और दर्ज की गई एफआईआर की संख्या क्रमशः 1096, 46 और 10 है।

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2112 के उत्तर के भाग (क) से (ग) तक के लिए है।

रबी मौसम 2025-26 के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकडे एलएमटी में

क्र.सं	राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	31.03.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	31.03.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	31.03.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	31.03.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.38	11.71	9.56	2.16	2.20	3.78	2.89	0.89	1.00	1.35	0.96	0.40	9.50	12.61	9.14	3.47
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	2.79	2.26	0.52	0.28	0.68	0.45	0.23	0.36	0.51	0.28	0.23	0.35	0.36	0.21	0.15
5	बिहार	13.50	17.37	14.59	2.78	3.90	6.13	4.66	1.47	1.50	1.83	1.40	0.44	3.50	5.69	3.58	2.11
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	2.88	5.17	2.56	2.62	1.00	2.16	1.11	1.05	0.50	0.64	0.14	0.51	0.60	2.15	0.38	1.77
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.15	0.11	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
12	गुजरात	13.90	15.91	13.94	1.96	2.90	3.41	2.91	0.50	0.64	0.77	0.56	0.22	4.50	5.83	3.93	1.90
13	हरियाणा	11.60	14.77	11.88	2.89	2.70	3.35	2.70	0.64	0.30	0.38	0.14	0.23	1.20	0.52	0.25	0.27
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.59	0.44	0.15	0.01	0.03	0.02	0.00	0.04	0.03	0.02	0.01	0.26	0.26	0.17	0.09
15	जम्मू और कश्मीर	0.68	1.33	0.69	0.65	0.24	0.41	0.22	0.18	0.13	0.24	0.09	0.15	0.02	0.04	0.01	0.04
16	झारखंड	1.20	1.81	1.30	0.51	0.25	0.67	0.47	0.20	0.02	0.04	0.02	0.02	0.30	0.51	0.25	0.26
17	कर्नाटक	7.60	10.48	7.78	2.70	1.98	4.19	2.49	1.70	0.97	1.76	0.98	0.78	7.20	13.52	7.67	5.85
18	केरल	0.62	0.71	0.55	0.16	0.08	0.20	0.11	0.09	0.50	0.60	0.40	0.20	0.61	0.95	0.61	0.34
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	23.00	28.90	24.17	4.74	7.50	7.62	6.00	1.61	1.00	1.02	0.58	0.44	11.50	8.63	5.09	3.54
21	महाराष्ट्र	11.25	16.65	11.55	5.09	2.60	4.96	2.71	2.25	1.50	1.78	0.96	0.82	12.00	23.14	10.84	12.31
22	मणिपुर	0.09	0.12	0.07	0.05	0.01	0.03	0.02	0.01	0.05	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
23	मेघालय	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.90	3.65	1.96	1.68	0.75	1.46	0.82	0.64	0.25	0.57	0.21	0.36	0.90	1.63	0.81	0.82
27	पुदुचेरी	0.08	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.08	0.05	0.03
28	पंजाब	15.00	19.43	15.45	3.97	4.50	5.77	4.30	1.47	0.60	0.70	0.29	0.41	1.50	1.01	0.63	0.38
29	राजस्थान	15.00	20.73	16.85	3.89	3.33	4.57	3.76	0.81	0.10	0.15	0.10	0.06	1.50	1.85	1.17	0.68
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.50	7.74	6.37	1.37	1.55	2.16	1.60	0.57	1.80	1.39	1.06	0.32	5.14	7.17	4.82	2.35
32	तेलंगाना	10.40	12.01	11.15	0.86	1.45	2.55	2.00	0.54	0.65	0.93	0.60	0.34	7.00	9.47	5.78	3.71
33	त्रिपुरा	0.10	0.15	0.08	0.07	0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
34	उत्तराखंड	1.01	1.34	1.06	0.28	0.15	0.44	0.26	0.18	0.05	0.06	0.02	0.04	0.20	0.12	0.08	0.04
35	उत्तर प्रदेश	40.00	51.51	40.14	11.37	14.00	17.60	12.55	5.05	1.50	2.25	1.26	0.99	7.50	11.16	6.37	4.80
36	पश्चिम बंगाल	8.20	12.43	8.76	3.67	1.99	3.19	2.37	0.83	2.20	2.54	1.53	1.01	7.00	10.66	7.01	3.65
	अखिल भारत	**196.06**	**257.59**	**203.39**	**54.22**	**53.43**	**75.41**	**54.47**	**20.93**	**15.69**	**19.63**	**11.62**	**8.01**	**82.38**	**117.43**	**68.88**	**48.59**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2112 के उत्तर के भाग (क) से (ग) तक के लिए है।

मौजूदा खरीफ़ मौसम 2026 (01.04.2026 से 26.07.2026 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकडे एलएमटी में

क्र.सं	राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	19.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.64	6.64	2.80	3.84	0.78	1.73	0.84	0.89	0.39	0.73	0.32	0.42	2.10	6.65	2.70	3.96
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.32	2.12	1.71	0.41	0.20	0.41	0.27	0.14	0.14	0.43	0.20	0.22	0.14	0.28	0.11	0.18
5	बिहार	4.62	8.15	3.56	4.60	1.59	2.29	0.92	1.37	0.84	0.83	0.13	0.70	1.88	3.28	0.75	2.53
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	5.88	7.48	5.20	2.28	2.49	1.98	1.45	0.53	0.63	0.82	0.52	0.30	2.00	2.30	1.61	0.70
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.09	0.08	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00
12	गुजरात	6.20	8.55	5.93	2.62	2.54	2.28	1.64	0.65	0.31	0.41	0.21	0.20	3.42	4.26	2.35	1.91
13	हरियाणा	6.38	9.89	7.77	2.13	1.30	1.63	1.20	0.44	0.42	0.38	0.14	0.24	0.33	0.43	0.16	0.27
14	हिमाचल प्रदेश	0.17	0.42	0.28	0.15	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.09	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.60	1.15	0.78	0.36	0.18	0.29	0.19	0.10	0.08	0.15	0.11	0.04	0.01	0.06	0.02	0.04
16	झारखंड	1.44	2.15	1.09	1.06	0.43	0.41	0.25	0.16	0.04	0.06	0.01	0.05	0.53	0.60	0.28	0.31
17	कर्नाटक	6.58	8.93	4.85	4.08	2.76	3.27	2.38	0.89	1.33	1.60	0.80	0.81	7.61	12.42	7.13	5.30
18	केरल	0.32	0.66	0.41	0.25	0.07	0.18	0.10	0.08	0.22	0.44	0.30	0.15	0.52	0.59	0.34	0.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	10.42	14.99	9.65	5.34	3.34	3.37	2.30	1.07	0.78	0.61	0.28	0.33	4.38	6.78	3.67	3.12
21	महाराष्ट्र	10.32	14.56	9.35	5.21	3.47	3.70	2.69	1.01	0.88	1.83	0.89	0.94	11.96	21.74	12.19	9.55
22	मणिपुर	0.11	0.18	0.12	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिज़ोरम	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	2.97	4.29	1.93	2.36	1.33	1.60	0.91	0.70	0.59	0.79	0.24	0.55	1.82	2.28	0.94	1.34
27	पुदुचेरी	0.04	0.06	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	12.10	15.47	12.29	3.18	1.55	2.45	1.37	1.08	0.58	0.64	0.22	0.42	0.49	0.50	0.19	0.31
29	राजस्थान	6.42	10.97	7.65	3.32	3.07	2.66	1.99	0.66	0.05	0.14	0.05	0.09	0.74	1.39	0.67	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.72	4.66	3.01	1.65	0.80	1.10	0.59	0.51	0.61	0.72	0.41	0.31	2.72	3.86	2.04	1.82
32	तेलंगाना	7.26	7.88	4.27	3.61	2.04	1.93	1.62	0.31	0.57	0.54	0.15	0.39	7.18	7.68	4.49	3.18
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.71	0.96	0.74	0.22	0.15	0.30	0.15	0.15	0.04	0.05	0.01	0.05	0.12	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	25.04	35.11	19.97	15.14	5.29	8.80	3.88	4.93	1.51	1.38	0.24	1.13	2.09	6.42	1.41	5.02
36	पश्चिम बंगाल	3.45	7.48	3.48	4.00	0.83	1.38	0.60	0.79	0.81	1.52	0.41	1.11	2.13	5.76	1.91	3.86
	अखिल भारत	**118.81**	**173.06**	**107.07**	**66.01**	**34.28**	**41.90**	**25.40**	**16.50**	**10.86**	**14.14**	**5.65**	**8.51**	**52.34**	**87.57**	**43.09**	**44.48**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

अनुलग्नक-ग

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2112 के उत्तर के भाग (क) से (ग) तक के लिए है।

राजस्थान

2021-22 से 2025-26 तक उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकडे एलएमटी में

क्र.सं.	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	**2025-26**	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80	0.20	0.23	0.18	3.00	3.24	2.56
2	**2024-25**	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55
3	**2023-24**	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08
4	**2022-23**	21.50	27.91	25.17	7.40	9.70	8.47	0.30	0.18	0.14	0.95	0.85	0.72
5	**2021-22**	21.00	25.43	22.59	7.70	6.59	6.10	0.30	0.31	0.24	0.63	1.23	1.20

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता **>** आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता **>** बिक्री